



2025:RJ-JP:45401

[2025:RJ-JP:45401]

**HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR**

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 13505/2025

Govind Choudhary S/o Bhanwarlal, Aged About 20 Years, R/o
Bhojpura Kalan, Police Station Jobner, District Jaipur. (At Present
Confined in Sub Jail, Sambhar Lake)

-----Petitioner

Versus

State of Rajasthan, Through PP

-----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Devanshu Sharma, Adv.
For Respondent(s)	:	Mr. Onkar Singh Rajpurohit, PP Mr. Mukesh Kumar Saini, Adv.

HON'BLE MR. JUSTICE CHANDRA PRAKASH SHRIMALI

Order

12/11/2025

प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से अपनी नियमित जमानत हेतु यह जमानत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता पुलिस थाना रेनवाल, जयपुर ग्रामीण में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 268/2025 अपराध अन्तर्गत धारा 109(1), 324(3) भारतीय न्याय संहिता में पेश किया गया है।

प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अभिभाषक का बहस के दौरान तर्क रहा है कि प्रार्थी/अभियुक्त निर्दोष है, दिनांक 07.09.2025 से अभिरक्षा में है, परिवारी व प्रार्थी/अभियुक्त आपस में जीजा-साले हैं, प्रार्थी/अभियुक्त की बहन की शादी दिनांक 22.06.2019 को परिवारी के साथ हुई, तब से परिवारी उसकी बहन को तंग व परेशान करता है तथा दहेज की मांग कर प्रताड़ित करता है, अभियुक्त की बहन व परिवारी के मध्य राजीनामा भी करवाया गया है, परिवारी के कोई प्राणघातक चोट नहीं है, प्रकरण में आरोप पत्र प्रस्तुत हो



चुका है, विचारण में समय लगेगा। अतः प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर उसे जमानत पर रिहा किया जावे।

परिवादी के विद्वान अभिभाषक तथा विद्वान लोक अभियोजक का बहस के दौरान तर्क रहा है कि प्रार्थी/अभियुक्त ने परिवादी पर पिकअप चढ़ाकर जानलेवा हमला किया और उसका आशय परिवादी की हत्या कारित करने का था, यह घटना सी.सी.टी.वी. कैमरे में भी रिकॉर्ड हुई है, अतः प्रार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध आरोपित अपराध की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए यह जमानत प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

मैंने जमानत प्रार्थना पत्रों के संबंध में उभयपक्षों के तर्कों पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

वर्तमान प्रकरण में अनुसंधान से यह तथ्य सामने आया है कि परिवादी व प्रार्थी/अभियुक्त रिश्ते में जीजा-साले हैं, प्रार्थी/अभियुक्त की बहन के साथ उसके पति/परिवादी द्वारा मारपीट की बात को लेकर काफी समय से प्रार्थी/अभियुक्त व परिवादी के मध्य मतभेद थे। परिवादी के जो चोटें कारित हुई हैं, वे प्राणघातक प्रकृति की नहीं हैं, प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक 07.09.2025 से अभिरक्षा में है, प्रकरण में आरोप पत्र प्रस्तुत हो चुका है, विचारण में समय लगेगा।

अतः प्रकरण के तथ्यों, परिस्थितियों, प्रस्तुत तर्कों तथा प्रार्थी/अभियुक्त की अभिरक्षा अवधि को दृष्टिगत रखते हुए प्रकरण के गुण-दोषों पर टिप्पणी किये बिना प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत होता है।

परिणामतः प्रार्थी/अभियुक्त **गोविंद चौधरी पुत्र भंवरलाल** की ओर से प्रस्तुत यह जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है और आदेश दिया जाता है कि यदि प्रार्थी इस मामले में विद्वान विचारण न्यायालय के संतोषप्रद, उनके



2025:RJ-JP:45401

[2025:RJ-JP:45401]

(3 of 3)

[CRLMB-13505/2025]

न्यायालय में नियत तिथियों पर एवं जब भी उसे तलब किया जावे, उपस्थिति हेतु एक लाख रुपये का व्यक्तिगत बंधपत्र व पचास—पचास हजार रुपये की दो सुदृढ़ एवं विश्वसनीय प्रतिभूतियां प्रस्तुत करे तथा उसकी किसी अन्य प्रकरण में आवश्यकता न हो तो उसे हस्तगत प्रकरण में जमानत पर रिहा कर दिया जावे।

(CHANDRA PRAKASH SHRIMALI),J

MANISH SAINI /151 (8)